भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 349

गुरूवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

50 पर्यटन स्थलों का विकास

349 श्री नरहरी अमीन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित ढांचे के तहत 50 पर्यटन स्थलों का चयन करने के लिए किन प्रमुख मानदंडों और मापदंडों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) इस पहल के एक भाग के रूप में स्थानीय समुदायों को पर्यटन पारितंत्र में शामिल करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्थलों के विकास में निजी क्षेत्र के निवेश की क्या भूमिका होगी; और

(घ) मंत्रालय की निजी क्षेत्र के निवेश को किस तरह आकर्षित करने की योजना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री नरहरी अमीन द्वारा 50 पर्यटन स्थलों का विकास के संबंध दिनांक 03.04.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 349 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (घ): वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में यह उल्लेख किया गया है कि 'देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में चुनौती मोड के माध्यम से विकसित किया जाएगा। आधारभूत अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि राज्यों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उन स्थलों में स्थित होटलों को अवसंरचना सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।' इन मानदंडों में मुख्य रूप से गंतव्यों की क्षमता, राज्य/स्थानीय सरकार की तैयारी और निजी निवेश की संभावना सम्मिलित होगी।

चूंकि, पर्यटन का विकास संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, इसलिए पर्यटन मंत्रालय अपनी योजनाओं जैसे स्वदेश दर्शन, तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) आदि के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों/गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास से संबंधित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके इन विकास प्रयासों को संपूरित करता है। ऐसी पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रबंधन के परिणामस्वरूप समुदायिक भागीदारी होती है और विभिन्न पर्यटन कार्यकलापों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन होता है और निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है।

सरकार ने (i) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटलों, (ii) रोपवे और केबल कारों, जिन्हें सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है, के लिए पर्यटन अवसंरचना की स्थिति की घोषणा के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, ऐसी प्रदर्शनी-एवं-सम्मेलन केंद्र परियोजनाओं को भी सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है, जिनमें विशेष रूप से प्रदर्शनी स्थल या सम्मेलन स्थल या दोनों का संयुक्त रूप से 100,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित फ्लोर क्षेत्रफल है।

पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में लागू विनियमों और कानूनों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की गई है। होटल, रिसॉर्ट और मनोरंजन सुविधाओं के विकास सहित पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है।

पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रथाओं को एकत्रित किया है और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को 'पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का स्टेटस' पर एक मॉडल रूपरेखा जारी की है, जो सार्वजनिक एवं निजी निवेश, व्यापार करने में सुगमता, उद्योग एवं निवेशक समुदाय तक पहुंच आदि पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

*****